पत्रांक:– NULM -PMC(003/SM&ID/Gen.-Comm/2015-16 - 136 /न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक:–

संयुक्त सचिव–सह–निदेशक
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

नगर आयुक्त, सभी नगर निगम एवं
नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद एवं नगर पंचायत (औरंगाबाद/डेहरी/दानापुर/बगहा/छपरा/सहरसा/सासाराम/हाजीपुर/सिवान/बेतिया/मोतिहारी/किशनगंज/बक्सर/जहानाबाद/जमालपुर/लखीसराय/नवादा/जमुई/ अररिया/मधुबनी/सीतामढ़ी/गोपालगंज/सुपौल/ समस्तीपुर/शेखपुरा/ मधेपुरा/भभुआ/खगड़िया/ अरवल/बांका/शिवहर)।

पटना, दिनांक: 23/12/15

विषय:– **राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना (NULM) के अधीन राशि के अल्पकालिक Inter-Component Fund Transfer के सम्बन्ध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक– 12.12.2015 को नगर निकायों में आयोजित शिविरों एवं दिनांक 16.12.2015 को Video Conference पर हुई NULM योजना की निकायवार प्रगति समीक्षा के दौरान यह अवगत कराया गया कि कुछ नगर निकायों में Revolving Fund के लिए फंड की उपलब्धता नहीं होने के कारण इसका वितरण परिपक्व स्वयं सहायता समूहों को नहीं किया जा सका।

इस संबंध में निदेशित किया जाता है कि, कार्यों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए NULM योजना के अधीन अन्य घटकों में उपलब्ध राशि को आवश्यकतानुसार इसी योजना के दूसरे घटकों में अल्पकालिक रूप से व्यवहृत किया जाय। किसी घटक में राशि उपलब्ध नहीं होने पर निकाय उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ मांग पत्र तुरंत उपलब्ध कराये। घटक में राशि प्राप्त होने पर उसे संबंधित घटक में सामंजन करना सुनिश्चित किया जाय।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) योजना की घटकवार मासिक प्रतिवेदन के साथ उपयोगिता प्रमाण–पत्र ससमय भेजना सुनिश्चित करेंगें, जिससे कि योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की जा सके।

विश्वासभाजन,

संयुक्त सचिव–सह–निदेशक
नगर विकास एवं आवास विभाग।